अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 21–103/2013

अपीलार्थी – मीना देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 269 दिनांक 9.3.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में हस्तांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि सरायगढ़ भपटियाही परियोजना के केन्द्र सं0– 87, समुदायिक भवन चांदपीपर केन्द्र का अपर समाहर्त्ता सुपौल द्वारा दिनांक 25.6.2012 को 11:25 बजे पूर्वाह्न में निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के कम में केन्द्र बंद पाया गया, सेविका/सहायिका अनुपस्थित थी।

उपर्युक्त अनियमितताऐं के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1346/प्रो0 दिनांक 14.9.2012 से सेविका /सहायिका श्रीमती मीना देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। सेविका द्वारा केन्द्र बंद रहने के संबंध में बताया गया कि उक्त तिथि से परियोजना कार्यालय सरायगढ़ मासिक बैठक में भाग लेने 10:30 बजे पूर्वाह्न में केन्द्र पर उपस्थिति दर्ज कर केन्द्र का संचालन का भार सहायिका श्रीमती मीना देवी को सौप कर चली गई।

सहायिका ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि उक्त तिथि को निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा केन्द्र के निरीक्षण के समय

12 बच्चें केन्द्र पर उपस्थित थे, जिस समय पदाधिकारी आए। मैं उन बच्चों को (जो 12 आ गये थें) केन्द्र पर छोड़कर अन्य बच्चों को लाने पड़ोस में चली गई थी। किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने सेविका की बातो को सहमति प्रदान करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त कर दिया गया। किन्तु सहायिका की बातों से असहमति व असत्य करार देते हुए सहायिका श्रीमती मीना देवी को चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 269 दिनांक 9.3.2013 निर्गत किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई की गई जिसमें पक्ष एवं विपक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा 25.6.2012 को केन्द्र का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय 12 लाभुक बच्चें केन्द्र पर आ गये थे, सहायिका अन्य बाकी बच्चों को लाने हेतु पड़ोस में चली गई थी , जो बच्चे आ गए थे वे केन्द्र पर बैठे हुए थे चूँकि उक्त तिथि को सेविका अपनी मासिक बैठक में भाग लेने हेतु सरायगढ़ परियोजना चली गई थी, इस लिए अकेले में (सहायिका) बच्चों को लाने व केन्द्र पर आए बच्चों को बैठाने का कांम भी अकेला ही कर रही थी। साक्ष्य स्वरूप उन्होने पंजीकृत लाभुक बच्चों के माता–पिता का हस्त लिखित बयान जो 24 पंजीकृत अवलोकन कराया जिसमें अभिभावक ने लिखा है कि निरीक्षण तिथि 25.6.2012 को सहायिका ने हमारे बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दिया गया है, एवं पोषाहार भी खिलाया गया है। केन्द्र बंद रहने का आरोप बिल्कुल असत्य है, तथा सहायिका को पुनःबहाल किया जाय। उस हस्त लिखित 21 पंजीकृत लाभुक के माता – पिता के हस्ताक्षर को स्थानीय मुखिया/सरपंज ने भी certified अनुमोदित किए है। साथ ही उन्होंने जून –012 की स्कूल पूर्व शिक्षा उपस्थिति पंजी का भी अवलोकन कराया जिसमें पंजीकृत लाभुक बच्चों की उपस्थिति निरीक्षण तिथि को दर्ज पाया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इसके साथ यह भी बताया कि कंचन कुमारी महिला पर्यवेक्षिका ने दिनांक 28.6.2013 को लिखित तौर पर दिया है कि पूर्व में भी निरीक्षण पंजी मे केन्द्र सं0– 87 सामुदायिक भवन चांद पीपर के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी दर्ज नहीं है, यानी केन्द्र का संचालन पहले से भी अच्छा चला आ रहा है।

इसके साथ अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि C.W.J.C.NO– 19486/2011 एवं 317/2014 में भी दृष्टव्य है कि एक दिन बिना सूचना के अनुपस्थिति रहने पर भी चयन मुक्ति नहीं किया जा सकता है, जबकि उक्त तिथि सहायिका केन्द्र पर मौजूद थी, तो फिर चयन

मुक्ति आदेश पूरी तरह गलत, न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कषों के अधार पर कहा जा सकता है कि निम्न न्यायालय सुपौल का आदेश ज्ञापांक 269दिनांक 9.3.2013 गलत है, इसे खंडित करने की जरूरत है। सहायिका है, इसकी शैक्षणिक स्थिति व आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होती है, सभी अवगत है, वे ज्यादातर गरीब परिवार से होती है, इसी की बदौलत अपने परिवार का भरण– पोषण करती है, अतः छोटी –छोटी गलती में चयन मुक्ति आदेश देना उनके मनोबल, को तोड़ना है। अपीलवाद को स्वीकार करते हुए यह न्यायालय सहायिका श्रीमती मीना देवी को चेतावनी सहित पुनः आदेश निर्गत तिथि से सहायिका के पद पर चयन को बरकरार बनाये रखने का निर्देश देती है। चेतावनी इसलिए भी कि वे भविष्य में केन्द्रो का संचालन नियमित तरीके से पूरी मुस्तैदी व जवाबदेही के साथ संपन्न करें।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा